

प्रेस नोट थाना विजयगढ़, अलीगढ़

दिनांक 05.09.2021

ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना विजयगढ़ पुलिस टीम ने वारण्टी किया गिरफ्तार

पुलिस कार्यवाही का विवरण:--

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना विजयगढ़ पुलिस टीम ने वारण्टी अनुज पुत्र विनोद कुमार निवासी कटरामलोई थाना विजयगढ़ जिला अलीगढ़ सम्बन्धित वाद सं0- 1816/16 धारा 323/504 भादवि को माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत वारण्ट के तहत मस्कन से गिरफ्तार किया गया ।

नाम पता अभियुक्तगण-

1. अनुज पुत्र विनोद कुमार निवासी कटरा मलोई थाना विजयगढ़ जिला अलीगढ़

वाद सं0

केश नं0 1816/16 धारा 323/504 भादवि

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1. उ0नि0 श्री मौहरपाल सिंह थाना विजयगढ़, अलीगढ़
2. का0 1316 सौरभ त्यागी थाना विजयगढ़, अलीगढ़



प्रेस नोट थाना सासनीगेट, अलीगढ़

दिनांक 05.09.2021

आपरेशन प्रहार के तहत थाना सासनीगेट पुलिस टीम ने एक वांछित अभियुक्त किया गिरफ्तार

पुलिस कार्यवाही का विवरण:-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना सासनीगेट पुलिस टीम ने मु0अ0सं0 165/21 धारा 147/148/149/186/307/336/34 भादवि व 7 CL Act में वांछित अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र पन्ना लाल निवासी दुर्गापुरी थाना सासनी गेट अलीगढ़ को मुखबिर की सूचना पर दिनांक 05.09.2021 को अभियुक्त के मस्कन मौहल्ला दुर्गापुरी से गिरफ्तार किया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र पन्ना लाल नि0 दुर्गापुरी थाना सासनी गेट अलीगढ़

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0- 165/21 धारा 147/148/149/186/307/336/34 भादवि व 7 CLA Act

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. श्री पंकज कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना सासनीगेट, अलीगढ़
2. उ0नि0 संजीव कुमार थाना सासनीगेट अलीगढ़
3. कां0 2510 मनोज कुमार थाना सासनी गेट अलीगढ़



प्रेस नोट थाना सिविल लाइन, अलीगढ़

दिनांक 05.09.2021

ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना सिविल लाइन पुलिस टीम ने 01 वांछित अभियुक्त किया गिरफ्तार

पुलिस कार्यवाही का विवरण:-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन प्रहार ” के तहत थाना सिविल लाइन पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 188/2020 धारा 147/148/149/323/325/504/506/307 भादवि में वांछित अभियुक्त **अजीम उर्फ गटुआ पुत्र शाहबुद्दीन निवासी केला नगर पत्थर वाली गली न0 3 थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़** को आईटी हास्पिटल जिम के पास मेडिकल शाप नं0 38 के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो पूर्व में भी जेल जा चुका है। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1.अजीम उर्फ गटुआ पुत्र शाहबुद्दीन निवासी केला नगर पत्थर वाली गली न0 03 थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 188/2020 धारा 147/148/149/323/325/504/506/307 भादवि थाना सिविल लाइन जनपद अलीगढ़
2. मु0अ0सं0 15/2020 धारा 307,323,506 भादवि थाना छर्ना जनपद अलीगढ़
3. मु0अ0सं0 212/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिविल लाइन जनपद अलीगढ़
4. मु0अ0सं0 702/2016 धारा 120बी, 392 भादवि थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़
5. मु0अ0सं0 596/2020 धारा 21/22 NDPS Act थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़
6. मु0अ0सं0 597/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1.उ0नि0 श्री दीपक नागर थाना सिविल लाइन, अलीगढ़
- 2.उ0नि0 श्री श्रवण कुमार थाना सिविल लाइन, अलीगढ़



प्रेस नोट

थाना मडराक जनपद-अलीगढ

गिरफ्तारी 03 नफ़र अभियुक्त सम्बन्धित मु0अ0सं0 208/2021 धारा 380/411 भादवि

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ श्री कलानिधी नैथानी व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री शुभम पटेल के आदेशानुसार व श्रीमान क्षेत्राधिकारी इगलास श्री अशोक कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री कुलदीप कुमार सिंह के निर्देशन में उ0नि0 श्री मोनवीर सिंह मय का0 2423 हरिओम व का0 1871 विपिन कुमार का0 2551 आशीष कुमार द्वारा थाना क्षेत्र में देखरेख शान्ति व्यवस्था व रोकथाम जुर्म जरायम में मामूर थे के मुखविर खास की सूचना पर मनोहर पुर कायस्थ मोड से 100कदम बाईपास की तरफ अभि0गण 1.राघवेन्द्र पुत्र शेलेन्द्र निवासी मनोहरपुर कायस्त थाना मडराक जनपद अलीगढ, 2.कान्हा पुत्र धीरेन्द्र निवासी मनोहरपुर कायस्त थाना मडराक जनपद अलीगढ, 3.गजेन्द्र पुत्र धुरपाल निवासी अजमेरी नगला थाना सासनी जनपद हाथरस सम्बधित मु0अ0सं0-208/2021 धारा 380 भादवि को मय एक अदद मोबाइल सैमसंग कीपैड रंग सुनहरा (गोल्डन) व एक बछडा उम्र 10 दिन व एक गाय उम्र करीब 04 वर्ष सहित दिनांक 05.09.2021 को गिरफ्तार किया गया गाय व बछडा वादी प्रेमपाल सिंह व गौशाला संरक्षक श्री विमल महाजन की सुपुर्दगी में दिये गये तथा मोबाईल सील सर्वे मोहर कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी। अभि0गण को मा0 न्याया0 भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

- 1.राघवेन्द्र पुत्र शेलेन्द्र निवासी मनोहरपुर कायस्त थाना मडराक जनपद अलीगढ उम्र करीब 32 वर्ष
- 2.कान्हा पुत्र धीरेन्द्र निवासी मनोहरपुर कायस्त थाना मडराक जनपद अलीगढ उम्र करीब 18 वर्ष
- 3.गजेन्द्र पुत्र धुरपाल निवासी अजमेरी नगला थाना सासनी जनपद हाथरस उम्र करीब 25 वर्ष

अभियुक्त की गिरफ्तारी का स्थान व समय -

मनोहर पुर कायस्थ मोड से 100कदम बाईपास की तरफ समय 11.55 बजे

आपराधिक इतिहास -

1.मु0अ0सं0-208/2021 धारा 380 भादवि थाना मडराक जनपद अलीगढ

बरामदगी विवरण-

1. एक अदद मोबाइल सैमसंग कीपैड रंग सुनहरा (गोल्डन)
2. एक बछडा उम्र 10 दिन
3. एक गाय उम्र करीब 04 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 श्री मोनवीर सिंह थाना मडराक जनपद अलीगढ

2. का0 2423 हरिओम थाना मडराक जनपद अलीगढ
3. का0 1871 विपिन कुमार थाना मडराक जनपद अलीगढ
4. का0 2551 आशीष कुमार थाना मडराक जनपद अलीगढ



प्रेस नोट थाना बरला, अलीगढ़

दिनांक 05.09.2021

आपरेशन प्रहार के तहत थाना बरला पुलिस टीम ने शातिर नकवजन किया गिरफ्तार ,कब्जे से चोरी का माल, रूपये व अवैध तमंचा कारतूस बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 03/09/2021 को वादी श्री रामबाबू पुत्र रामपाल निवासी नौशा थाना बरला जनपद अलीगढ़ के घर से अज्ञात चोरों द्वारा सोने चांदी के जेबरात व नकदी चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 157/2021 व दिनांक 03.09.2021 में ही वादी इन्द्रपाल सिंह पुत्र यादराम सिंह निवासी दतावली थाना बरला अलीगढ़ के घर से सोने चांदी के जेबरात व रूपये चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 159/2021 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया था। जिसमें एसएसपी महोदय द्वारा अभियोग के शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था।

पुलिस कार्यवाही का विवरण:-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना बरला पुलिस टीम ने दिनांक 05/09/2021 को मु0अ0सं0 157/2021 धारा 457/380 भादवि व मु0अ0सं0 159/2021 धारा 457/380 भादवि में वांछित अभियुक्त 1. अजरूदीन उर्फ बन्दी पुत्र फजरूदीन नि0 रगसपुरी थाना जवां जिला अलीगढ़ को मय अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित खरगपुरा मोड़ से पिलखना की तरफ जाने वाली सड़क से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से पूछताछ व निशां देही पर तीन जोड़ी पाजेब सफेद धातु व नकदी 4000 रूपये सम्बन्धित मु0अ0सं0 159/2021 धारा 457/380 भादवि तथा दो जोड़ी पाजेब सफेद धातु व एक जोड़ी कुण्डल पीली धातु सम्बन्धित मु0अ0सं0 157/2021 धारा 457/380 भादवि बरामद किये गये।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. अजरूदीन उर्फ बन्दी पुत्र फजरूदीन नि0 रगसपुरी थाना जवां जिला अलीगढ़

अभियुक्त अजरूदीन उर्फ बन्दी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 157/2021 धारा 457/380/411 भादवि थाना बरला अलीगढ़
2. मु0अ0सं0 159/21 धारा 457/380/411 भादवि थाना बरला अलीगढ़
3. मु0अ0सं 162/21 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना बरला अलीगढ़

बरामदगी:-

1. एक तमंचा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस
2. तीन जोड़ी पाजेब सफेद धातु व नकदी 4000 रूपये सम्बन्धित मु0अ0सं0 159/2021 धारा 457/380 भादवि

3. दो जोडी पाजेव सफेद धातु व एक जोडी कुण्डल पीली धातु सम्बन्धित मु0अ0स0 157/2021 धारा 457/380 भादवि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री नरेश कुमार प्रभारी थाना बरला, अलीगढ़
- 2- उ0नि0 श्री अजय कृष्ण यादव थाना बरला, अलीगढ़
- 3- हे0का0 588 मयंक निरूपण थाना बरला, अलीगढ़



प्रेस नोट थाना गांधीपार्क, अलीगढ़

दिनांक 05.09.2021

ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना गाँधीपार्क पुलिस टीम ने 01 शातिर वाहन चोर किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाईकिल बरामद ।

पुलिस कार्यवाही का विवरण:-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना गांधीपार्क पुलिस टीम ने दिनांक 05.09.2021 को वाहन चैकिंग के दौरान अभियुक्त अरुण उर्फ टुण्डा पुत्र श्याम निवासी नौरंगाबाद छावनी कुँआ वाली गली थाना गाँधीपार्क अलीगढ़ को मय चोरी की एक मो0सा0 नं0 यूपी 81 AK 2963 चैसिस नं0 MBLHA10EWBHB31956 इंजन नं0 HA10EDBHB34253 सहित नौरंगाबाद तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0स0 524/21 धारा 411/414 भादवि पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त का नाम-

1. अरुण उर्फ टुण्डा पुत्र श्याम निवासी नौरंगाबाद छावनी कुँआ वाली गली थाना गाँधीपार्क अलीगढ़

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 524/21 धारा 411/414 भादवि

बरामदगी -

मो0सा0 नं0 यूपी 81 एके 2963

गिरफ्तारी स्थान-

नौरंगाबाद तिराहे से 20-25 कदम एटा चुंगी की तरफ

पुलिस टीम का विवरण-

- 1.उ0नि0 श्री योगेश कुमार तिवारी थाना गाँधीपार्क जनपद अलीगढ़

2. का0 2409 मानवेन्द्र सिंह थाना गाँधीपार्क जनपद अलीगढ़



प्रेस नोट थाना कोतवाली अतरौली अलीगढ़

दिनांक 05.09.2021

ऑपरेशन निहत्था के तहत थाना अतरौली पुलिस टीम ने 01 अभियुक्त किया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा कारतूस बरामद।

पुलिस कार्यवाही का विवरण:-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र कारतूस रखने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन निहत्था” के तहत थाना अतरौली पुलिस टीम ने दिनांक 05.09.2021 को अभि0 माजिद अली पुत्र वाजिद अली निवासी ग्राम वेमवीरपुर थाना अतरौली अलीगढ़ को 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित ग्राम किरथला मोड़ से गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना अतरौली पर मु0अ0स0 358/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त का चालान समय से माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. माजिद अली पुत्र वाजिद अली निवासी ग्राम वेमवीरपुर थाना अतरौली, अलीगढ़

बरामदगी

01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0- 358/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अतरौली, अलीगढ़

गिरफ्तारी स्थान:-

ग्राम किरथला मोड़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री रामविरेश थाना अतरौली, अलीगढ़
2. कां0 384 राजकुमार थाना अतरौली, अलीगढ़
3. कां0 2248 भानूप्रताप थाना अतरौली, अलीगढ़



अलीगढ़ पुलिस [?]

- ◆ एसएसपी अलीगढ़ की टीम ने 13 साल से फरार 25 हजार रु0 के ईनामी शातिर गोकश/ गैंगस्टर को गिरफ्तार कर की अभूतपूर्व कार्यवाही।
- ◆ एसएसपी अलीगढ़ के निर्देशन में हो रही दशकों से फरार ईनामी अपराधियों पर कार्यवाही
- ◆ 206 गोकशों पर कार्यवाही के बाद एक और गोकश के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही
- ◆ 19 साल से फरार दोहरे हत्याकांड में वांछित अभि0 नेत्रपाल (थाना खैर) व 11 वर्ष से फरार शातिर लुटेरा करन पुत्र बेबड़ा उर्फ बलवीर (थाना मडराक), 10 साल से फरार गैंगस्टर में वांछित नरेन्द्र उर्फ छोटू (थाना देहलीगेट) की सफलतापूर्वक गिरफ्तारी के बाद, 13 साल से फरार गोकश व गैंगस्टर सावेज उर्फ बिट्टू पुत्र अबरार चौधरी को किया गिरफ्तार।
- ◆ आज दिनांक 05.09.2021 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना क्वार्सी टीम द्वारा 13 वर्ष से फरार अभियुक्त सावेज उर्फ बिट्टू पुत्र अबरार चौधरी को अवैध तमंचे व कारतूस के साथ मुखबिर की सूचना पर धौरामाफी रोड, क्वार्सी से गिरफ्तार किया गया।
- ◆ “इस अभूतपूर्व कार्यवाही पर क्राइम ब्रांच व थाना की मेहनती पुलिस पार्टी ईनाम की हकदार- कलानिधि नैथानी एसएसपी अलीगढ़”

[?] अभियुक्त द्वारा जनपद अलीगढ़ में वर्ष 2009 में अपने साथियों के साथ मिलकर गोकशी की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में थाना पर मु0अ0सं0 784/09 धारा 429 भादवि, 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था। अभि0गण संगठित गिरोह के रूप में समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त रहकर अपने व अपने परिवार के भरण पोषण हेतु अनुचित धनोपार्जन हेतु गोवध जैसी घटनायें कारित करते थे जिसके संबंध में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0 935/09 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना क्वार्सी, अलीगढ़ पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभि0 सावेज उर्फ बिट्टू के विरुद्ध मफरूरी में आरोप पत्र प्रेषित किया गया तब से अभि0 सावेज उर्फ बिट्टू गैंगस्टर एक्ट के उक्त अभियोग में वांछित चल रहा था।

- ◆ उक्त प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ श्री कलानिधि नैथानी द्वारा टीमों गठित कर फरार अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के कड़े निर्देश जारी किये गये थे तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु एसएसपी श्री कलानिधि नैथानी द्वारा 25000 रु0 का ईनाम घोषित किया था।

जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर श्री कुलदीप सिंह गुनावत द्वारा गठित टीम व क्राइम ब्रांच को नेतृत्व प्रदान करते हुए कड़ी सुरागरसी-पतारसी एवं कई दिनों की अथक मेहनत, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस आदि के आधार पर 13 साल से फरार गोकश/गैंगस्टर सावेज उर्फ बिट्टू जो अपने साले के पास बांद्रा (मुम्बई) में पहचान छुपाकर रह रहा था तथा पाव भाजी की ढकेल लगाकर जीवन यापन कर रहा था। अब उसे यह विश्वास हो गया था कि पुलिस ने उसको तलाश करना बन्द कर दिया होगा अतः कुछ दिन पूर्व अपने घर रामपुर आया था तथा आज दिनांक 05.09.2021 को अपने रिश्तेदार से मिलने के लिये अलीगढ़ आया था। जिसे क्राइम ब्रांच व थाना क्वार्सी पुलिस, सर्विलांस टीम द्वारा धौरामाफी रोड, क्वार्सी से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

- ◆ सावेज उर्फ बिट्टू पुत्र अबरार चौधरी निवासी घेर मरदानखाँ थाना कोतवाली जनपद रामपुर

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 784/09 धारा 429 भादवि, 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़

2. मु0अ0सं0 935/09 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना क्वार्सी, अलीगढ़
3. मु0अ0सं0 286/10 धारा 307 भादवि थाना गंज जनपद रामपुर
4. मु0अ0सं0 88/15 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 थाना गंज जनपद रामपुर
5. मु0अ0सं0 407/15 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना गंज जनपद रामपुर
6. मु0अ0सं0 427/15 धारा 174ए भादवि थाना कोतवाली जनपद रामपुर
7. मु0अ0सं0 458/15 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना गंज जनपद रामपुर
8. मु0अ0सं0 473/15 धारा धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना गंज जनपद रामपुर
9. मु0अ0सं0 135/16 धारा 353/336/504/506 भादवि थाना कोतवाली जनपद रामपुर
10. मु0अ0सं0 165/16 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0, 3/11 पशु क्रूरता अधि0, 307 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना कोतवाली जनपद रामपुर
11. मु0अ0सं0 174/16 धारा 147/149/307/336/353/504/506/427 भादवि, 7 सीएलए एक्ट, 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना कोतवाली जनपद रामपुर
12. मु0अ0सं0 187/16 धारा 147/307 भादवि थाना कोतवाली जनपद रामपुर
13. मु0अ0सं0 188/16 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना कोतवाली जनपद रामपुर
14. मु0अ0सं0 201/16 धारा 147/149/307/336/353/504/506/427 भादवि, 7 सीएलए एक्ट, 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना कोतवाली जनपद रामपुर
15. मु0अ0सं0 253/16 धारा 174ए भादवि थाना कोतवाली जनपद रामपुर
16. मु0अ0सं0 369/16 धारा 174ए भादवि थाना कोतवाली जनपद रामपुर
17. मु0अ0सं0 121/17 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना गंज जनपद रामपुर
18. मु0अ0सं0 271/17 धारा 3 यूपी गुण्डा अधिनियम थाना कोतवाली जनपद रामपुर

बरामदगी:-

◆ 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

पुलिस टीम:-

पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में

- क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय श्री श्वेताभ पाण्डेय
- प्रभारी निरीक्षक श्री विजय कुमार थाना क्वार्सी मय फोर्स
- क्राइम बांच व सर्विलांस टीम

!! □ एसएसपी अलीगढ़ ने फाईलों मे गुम हो चुके वांछित/मफरूर अपराधियों के विरुद्ध लगातार ऑपरेशन प्रहार जारी रखते हुए शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तारी करने के अधीनस्थों को आदेश दिये हैं । !! □



प्रेस नोट थाना चण्डौस, अलीगढ़

दिनांक 05.09.2021

ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना चण्डौस पुलिस टीम ने 01 अभियुक्त किया गिरफ्तार

पुलिस कार्यवाही का विवरण:-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना चण्डौस पुलिस टीम ने दिनांक 04/09/2021 को चैंकिंग के दौरान पिसावा रोड स्थित एसआर पेट्रोल पम्प चण्डौस से अभि० राजू पुत्र रामकिशोर निवासी नगल पदम थाना चण्डौस जनपद अलीगढ़ को मय नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना पर मु०अ०सं०- 175/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

राजू पुत्र रामकिशोर निवासी नगल पदम थाना चण्डौस जनपद अलीगढ़

पंजीकृत अभियोग:-

1- मु०अ०सं०- 175/2021 धारा धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चण्डौस, अलीगढ़

बरामदगी:-

एक अदद चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम: -

- 1- हे०का० 158 कप्तान सिंह थाना चण्डौस, अलीगढ़
- 2- कां० 669 गुरुवेन्द्र थाना चण्डौस, अलीगढ़



प्रेस नोट थाना देहलीगेट जनपद अलीगढ

आपरेशन प्रहार के तहत शातिर टिर्री चोर गिरफ्तार ,कब्जे से चोरी की टिर्री व दो चाकू व 1800 रूपये बरामद

पुलिस कार्यवाही का विवरण:-

दिनांक 16.07.21 को श्री शाहजाद पुत्र मौ0 बशीर निवासी मामूद नगर एडीए कालौनी थाना देहलीगेट अलीगढ ने स्वयं की टिर्री 1. अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र ओमप्रकाश निवासी बरसौली थाना हसायन जिला हाथरस हाल निवासी सराय लवरिया थाना बन्नादेवी अलीगढ 2. शिव्वो पुत्र महेन्द्र नि0 बरसौली थाना हसायन हाल निवासी सराय लवरिया थाना बन्नादेवी अलीगढ 3. मनीष कुमार पुत्र रमेशचन्द्र निवासी सराय नवाब बर्फ खाने वाली गली थाना बन्नादेवी अलीगढ के द्वारा चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 601/2021 धारा 379 भादवि बनाम 1. अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र ओमप्रकाश निवासी बरसौली थाना हसायन जिला हाथरस हाल निवासी सराय लवरिया थाना बन्नादेवी अलीगढ 2. शिव्वो पुत्र महेन्द्र नि0 बरसौली थाना हसायन हाल निवासी सराय लवरिया थाना बन्नादेवी अलीगढ 3. मनीष कुमार पुत्र रमेशचन्द्र निवासी सराय नवाब बर्फ खाने वाली गली थाना बन्नादेवी अलीगढ पंजीकृत कराया था। अभियोग के अनावरण हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी महोदय के द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री कुलदीप सिंह गुनावत के नेतृत्व में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम महोदय श्री राघवेन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना देहलीगेट श्री प्रमेन्द्र सिंह को निर्देशित किया गया तथा थाना देहलीगेट से पुलिस टीम गठित की गयी। गठित टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 17.08.21 को समय 10.50 बजे नन्दन सिनेमा वाली गली तिराहे से अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र ओमप्रकाश निवासी बरसौली थाना हसायन जिला हाथरस हाल निवासी सराय लवरिया थाना बन्नादेवी अलीगढ व मनीष कुमार पुत्र रमेशचन्द्र निवासी सराय नवाब बर्फ खाने वाली गली थाना बन्नादेवी अलीगढ को मय चोरी की टिर्री के गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की। अभियुक्तों की जामा तलाशी ली गयी तो अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू के पास से एक अवैध चाकू व मु0अ0सं0 601/21 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित टिर्री को बेचने से प्राप्त 1000 रूपये बरामद हुए व अभियुक्त मनीष उपरोक्त के पास से एक अवैध चाकू व मुकदमा से सम्बन्धित टिर्री को बेचने से प्राप्त 800 रूपये बरामद हुए। घटना के मुख्य आरोपी जितेन्द्र उर्फ जीतू उपरोक्त से गहनता से जानकारी की गयी तो बताया कि दिनांक 11.08.21 को मैं व मेरे साथी मनीष पुत्र रमेशचन्द्र निवास सराय नवाब बर्फ खाने वाली गली थाना बन्नादेवी अलीगढ एवम् शिव्वो पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी बरसौली थाना हसायन जिला हाथरस हाल निवासी सराय लवरिया ने शाम के समय बारहद्वारी चौराहे से एक टिर्री वाले को यह कहकर लाये थे कि हमारे 15 कार्टून दवाई के हैं जिनको ले चलना है और आपको नगद भाडा देंगे। जिस पर टिर्री वाला अपनी टिर्री को लेकर हम लोगों के साथ चल दिये और यूनियन बैंक के सामने पत्थर बाजार सरकारी नल के पास मैंने उस टिर्री को बैंक करके नल के पास लगवा दिया था और मेरे साथी मनीष पुत्र रमेश चन्द्र और शिव्वो पुत्र महेन्द्र सिंह ये दोनो अलग अलग इधर उधर छुप गये थे। हम टिर्री वाले को अपने साथ लेकर फफाला मार्केट मे कुछ दूरी तक अंदर आये और मैंने टिर्री वाले से कहा कि भईयाँ दुकान बंद हो गयी है अब तुम अपनी टिर्री लेकर वापस जाओ उस टिर्री को मेरा साथी शिव्वो पुत्र महेन्द्र व मनीष पुत्र रमेश चन्द्र लेकर चले गये थे और भी रेलवे रोड होता हुआ चला गया था। फिर हम तीनों ने मिलकर चोरी की टिर्री को बेचने की योजना बनाई तो मेरे साथी शिव्वो ने कहा कि यह टिर्री तुम मेरे हवाले कर दो। इसको हम बेचकर जो भी हिस्सा होगा आप लोगों को दें दूंगा। चोरी की टिर्री को शिव्वो ने बेचा है। कहा बेचा है मुझे जानकारी नहीं है और मुझे व मेरे साथी मनीष को दो दो हजार रूपये हिस्से मे दिये थे जिसमे से एक हजार रूपये आपने मेरे से बरामद कर लिये हैं शेष पैसे मैंने शोक मौज मे खर्च कर दिये। बरामद चोरी की टिर्री के सम्बन्ध मे थाना पर मु0अ0सं0 602/21 धारा 411/414 भादवि बनाम जितेन्द्र उर्फ जीतू व

मनीष व बरामद अवैध चाकूओ के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 603/21 धारा 4/25 आयुध अधि0 बनाम जितेन्द्र उर्फ जीतू व मु0अ0सं0 604/21 धारा 4/25 आयुध अधि0 बनाम मनीष उपरोक्त पंजीकृत किये गये । अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. जितेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश निवासी बरसौली थाना हसायन जिला हाथरस हाल निवासी सराय लवरिया थाना बन्नादेवी अलीगढ
2. मनीष पुत्र रमेशचन्द्र निवासी सराय नवाब बर्फ खाने वाली गली थाना बन्नादेवी अलीगढ

अभियुक्त जितेन्द्र उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अं0सं0 601/21 धारा 379/411 भादवि थाना देहलीगेट अलीगढ
2. मु0अ0सं0 602/21 धारा 411/414 भादवि थाना देहलीगेट अलीगढ
3. मु0अ0सं 603/21 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना देहलीगेट अलीगढ

अभियुक्त मनीष उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अं0सं0 601/21 धारा 379/411 भादवि थाना देहलीगेट अलीगढ
2. मु0अ0सं0 602/21 धारा 411/414 भादवि थाना देहलीगेट अलीगढ
3. मु0अ0सं0 604/21 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना देहलीगेट अलीगढ

अभियुक्तगण से बरामदगी:-

1. एक टिर्सी चोरी की (अभियुक्त जितेन्द्र व मनीष उपरोक्त से)
2. एक चाकू (अभियुक्त जितेन्द्र उपरोक्त से)
3. एक चाकू (अभियुक्त मनीष उपरोक्त से)
4. 1000 रुपये (अभियुक्त जितेन्द्र उपरोक्त से मु0अ0सं0 601/21 धारा 379/411 भादवि से सम्बन्धित चोरी की टिर्सी बेचने पर प्राप्त रुपये)
5. 800 रुपये (अभियुक्त मनीष उपरोक्त से मु0अ0सं0 601/21 धारा 379/411 भादवि से सम्बन्धित चोरी की टिर्सी बेचने पर प्राप्त रुपये)

पुलिस पार्टी:-

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमेन्द्र कुमार थाना देहलीगेट अलीगढ
- 2- उ0नि0श्री विनोद कुमार थाना देहलीगेट अलीगढ
- 3- का038 रवि कुमार थाना देहलीगेट अलीगढ
- 4 - का0 2372 अरविन्द कुमार थाना देहलीगेट अलीगढ
- 5- का02383 सुनील कुमार थाना देहलीगेट अलीगढ